



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261963  
CG-DL-E-26032025-261963

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1379]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947

No. 1379]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

का.आ. 1397(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2131(अ) तारीख 29/05/2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 28.000 कि.मी. और तुलजापुर बाईपास के 0.00 कि.मी. से 11.593 कि.मी. (तुलजापुर-औसा खंड) का निर्माण (चौड़ा करणे चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30/07/2024" को " दैनिक सकाळ " और " लोकमत समाचार" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

#### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के 0.000 कि.मी. से 28.000 कि.मी. और 0.000 कि.मी. से 11.593 कि.मी. तक (तुलजापुर-औसा खंड) के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना रही अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: तुलजापूर					
गांव का नाम: काकरंबा					
1	12	निजी	कृषि	0.0016	चांद बाबू अन्सारी 12
Total				0.0016	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/14/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2025

**S.O. 1397(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2131 (E), dated 29/05/2024, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 28.000 and stretch of Tuljapur Bypass Design Chainage Km. 0.000 to Km. 11.593 (Tuljapur-Ausa Section) in Taluka Dharashiv (Osmanabad) & Tuljapur District Dharashiv (Osmanabad).

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Lokmat Samachar " and " Dainik Sakal " both dated 30/07/2023, under sub- section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person to the competent authority

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(D) of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0/000 to Km. 28/000 and stretch of Tuljapur Bypass Design Chainage Km. 0/000 to Km. 11/593 (Tuljapur-Ausa Section) of NH No.361 in the State of Maharashtra.**

State: MAHARASHTRA			District: Dharashiv (OSMANABAD)		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Tuljapur</b>					
<b>Village: Kakramba</b>					
1	12	Private	Agricultural	0.0016	Chand Babu Anasari 12
<b>Total</b>				<b>0.0016</b>	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/14/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director